

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/वृ0पी0ग0)/18, दिनांक : 16 :मई-2018,

-:: आदेश ::-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन अपील संख्या-09/14 सर्वश्री सलूजा मशीनरी कम्पनी, 41, भगत सिंह मार्केट, लाटूश रोड कानपुर धारा-59 में पोषणता के बिन्दु के निस्तारण हेतु दिनांक 28.05.18 के लिए मुख्यालय पर वृहत्तर पीठ गठित की जाती है।

गठित वृहत्तर पीठ में मेरे साथ श्री मो0इब्राहिम, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, इलाहाबाद एवं श्री अम्बेश श्रीवास्तव, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 इलाहाबाद, श्रीमती साधना त्रिपाठी, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 लखनऊ तथा श्री डिप्टी कुमार, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित को अवगत कराया जाये।

ह0-16.5.18

(राजेन्द्र कुमार-IV)


एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/वृ0पी0ग0/ 824 /2018, तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम /द्वितीय इलाहाबाद।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-द्वितीय/तृतीय, लखनऊ।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,


प्र0 निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।